रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 20, 2014/पौष 30, 1935
No. 19] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 20, 2014/PAUSHA 30, 1935

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 20 जनवरी, 2014

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजारों में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) विनियम, 2007 के विनियम 3 के अधीन अधिसूचना

सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/41/118.—यतः तारीख 29 जून, 2010 की अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2010-11/12/10230 के माध्यम से, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने यह विनिर्दिष्ट किया था कि व्यापारिक सदस्यों, जो, 29 जून 2010 को, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के मुद्रा व्युत्पन्नी खंड (करेंसी डेरिवेटिव्ज़ सेगमेंट) में ऐसी हैसियत से रजिस्ट्रीकृत हैं और ब्याज दर व्युत्पन्नियों (इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्ज़) में व्यापार (ट्रेडिंग) कर रहे हैं, के अनुमोदित उपयोक्ता (एप्रूव्ड यूज़र्स) तथा विक्रय कार्मिक (सेल्स पर्सोनल) उक्त अधिसूचना की तारीख से दो वर्षों के भीतर, उक्त अधिसूचना में यथा अपेक्षित, श्रृंखला-IV: आईआरडी प्रमाणीकरण अभिप्राप्त करेंगे।

यतः उद्योग द्वारा ब्याज दर फ्यूचर्स (इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स) को नए सिरे से आरंभ करने और अभिव्यक्त की गयी कठिनाइयों के मद्देनज़र, इस अधिसूचना की तारीख से दो वर्षों की अवधि तक ऐसे अनुमोदित उपयोक्ताओं तथा विक्रय कार्मिक द्वारा प्रमाणीकरण अभिप्राप्त करने की अवधि को बढ़ाने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार, व्यापारिक सदस्य, जो मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के मुद्रा व्युत्पन्नी खंड में ऐसी हैसियत से रजिस्ट्रीकृत हैं और ब्याज दर व्युत्पन्नियों में व्यापार कर रहा है, यह सुनिश्चित करेगा कि इसके सभी अनुमोदित उपयोक्ता तथा विक्रय

कार्मिक इस अधिसूचना की तारीख से दो वर्षों की अवधि के भीतर श्रृंखला-IV: आईआरडी प्रमाणीकरण अभिप्राप्त करेंगे ।

इसके अतिरिक्त, इस अधिसूचना की तारीख के पश्चात् व्यापारिक सदस्य द्वारा नियोजित सभी अनुमोदित उपयोक्ता तथा विक्रय कार्मिक नियोजित किये जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर श्रृंखला-IV: आईआरडी प्रमाणीकरण अभिप्राप्त करेंगे ।

यू. के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./69 जैड बी/13]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 20th January, 2014

Notification under regulation 3 of the Securities and Exchange Board of India (Certification of Associated Persons in the Securities Markets) Regulations, 2007

No. LAD-NRO/GN/2013-14/41/118.—Whereas vide notification No. LAD/NRO/GN/2010-11/12/10230 dated June 29, 2010, the Securities and Exchange Board of India had specified that approved users and sales personnel of the trading members who are registered as such in the currency derivatives segment of a recognized stock exchange and trading in interest rate derivatives, as on June 29, 2010, shall obtain Series-IV: IRD certification, as required in the said notification, within two years from the date of the said notification.

Whereas in view of the fresh launch of interest rate futures and difficulties expressed by the industry, it has been decided to extend the period for obtaining certification by such approved users and sales personnel for a period of two years from the date of this notification.

Accordingly, a trading member who is registered as such in the currency derivatives segment of a recognized stock exchange and trading in interest rate derivatives shall ensure that all its approved users and sales personnel shall obtain Series-IV: IRD certification within a period of two years from the date of this notification.

Further, all approved users and sales personnel employed by the trading member after the date of this notification shall obtain Series-IV: IRD certification within a period of one year from the date of employment.

U. K. SINHA, Chairman

[ADVT. III/4/Exty./69 ZB/13]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054